

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या -278/2000

आदेश दिनांक:-

15.05.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी	:— श्री आकाश गुप्ता
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी	:— श्री मनीष शर्मा
अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी	:— श्री जी.एस.बापना, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री सर्वेश जैन, अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र संख्या-30771 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. मृतक प्रतिवादी/ अपीलार्थी हरीश चन्द पारीक, जिसका देहान्त दिनांक 24.02.2019 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थना पत्र निश्चित् समयावधि में प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या -2 में वर्णित मृतक अपीलार्थी हरीश चन्द पारीक के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

इस संबंध में संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है ।

प्रार्थना पत्र संख्या-8677 द्वारा प्रार्थी लक्ष्मीकांत पारीक द्वारा मृतका प्रत्यर्थी संख्या-1 श्रीमती फूला देवी, जिसका देहान्त दिनांक 02.11.2018 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर स्वयं को अभिलेख पर लेने अथवा स्वयं को अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित करने की प्रार्थना की गई है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस करते हुए योग्य अधिवक्ता प्रार्थी लक्ष्मीकांत, श्री जी. एस. बापना का निवेदन है कि मृतका फूला देवी ने अपने विधिक प्रतिनिधियों के रूप में प्रत्यर्थी संख्या-2 चन्द्रकांता व प्रार्थी लक्ष्मीकांत को छोड़ा है जिनमें से चन्द्रकांता पहले से ही अभिलेख पर है व लक्ष्मीकांत के पक्ष में फूला देवी के पति राधेश्याम द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति के संबंध में दिनांक 16.12.1981 को वसीयत की गई थी। इस प्रकार चन्द्रकांता प्रत्यर्थी संख्या -2 को वादपत्र की चरण संख्या -2 (ख) व 2 (ग) में वर्णित संपत्तियों में जो हक मृतका के थे वे "Devolve" हुए हैं व वादपत्र की चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति के संबंध में राधेश्याम द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर प्रार्थी लक्ष्मीकांत के हक में "Devolve" हुए हैं । अतः लक्ष्मीकांत पारीक को स्वर्गीय फूलादेवी के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर अभिलेख पर लिया जावे अथवा विकल्प में उसे इस अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आकाश गुप्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि वादपत्र की चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति, जिसमें प्रार्थी लक्ष्मीकांत पारीक राधेश्याम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 16.12.1981 के आधार पर मालिकाना अधिकार क्लेम कर रहा है वह संपत्ति वाद में विवादित नहीं होने से न तो प्रार्थी लक्ष्मीकांत पारीक इस अपील में मृतका फूलादेवी के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर अभिलेख पर लिये जाने योग्य है एवं न पक्षकार के रूप में ही संयोजित किये जाने योग्य है । बल्कि मृतका फूलादेवी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रत्यर्थी संख्या-2 चन्द्रकांता पहले से

ही अभिलेख पर है, अतः वाद शीर्षक में फूलादेवी के नाम के आगे 'मृतक दौराने वाद' अंकित किया जावे।

दूसरी ओर योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी श्री मनीष शर्मा ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस प्रकरण में वादपत्र के चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति विवादित नहीं है परन्तु अभिवचनों में उस संपत्ति का विवरण होने से व पक्षकारों के मध्य चल रहे अन्य प्रकरणों में लक्ष्मीकांत पारीक को वसीयत दिनांक 16.12.1981 के आधार पर मृतका फूला देवी के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर अभिलेख पर ले लिये जाने से इस अपील में भी वह मृतका के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर अभिलेख पर लिये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

निर्विवादित रूप से वादपत्र में वादपत्र की चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति का विभाजन होना बताया गया था। इसीलिए विचारण न्यायालय द्वारा न तो इस संपत्ति के संबंध में कोई विवाद्यक विरचित किया गया था और न इस संपत्ति के संबंध में इस अपील में आक्षेपित निर्णय में कोई निष्कर्ष ही विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए हैं। इस प्रकार इस अपील के निस्तारण हेतु इस अपील में प्रार्थी लक्ष्मीकांत पारीक, जो राधेश्याम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 16.12.1981 के आधार पर वादपत्र की चरण संख्या 2(क) में वर्णित संपत्ति क्लेम कर रहा है, को मृतका फूलादेवी के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर अभिलेख पर लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है न उसे इस अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने की ही आवश्यकता है। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

परन्तु साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्षकारों में मध्य यदि कोई अन्य प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें/जिसमें वादपत्र की चरण संख्या 2 (क) में वर्णित संपत्ति व वसीयत दिनांक 16.12.1981 भी प्रश्नगत है, उन्हें यह आदेश किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा अर्थात् इस अपील में प्रार्थी लक्ष्मीकांत

को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किए जाने का कोई विपरीत प्रभाव उन प्रकरणों में नहीं पड़ेगा ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)